1	2	3	4
Manipur	51	1.22	1.59
Nagaland	9	0.31	0.14
Orissa	114	3.13	1.97
Punjab	3	0.04	0.0050
Rajasthan	35	1.15	0.89
Tamil Nadu	86	2.23	2.10
Tripura	1	0.03	0.00
Uttar Pradesh	358	8.70	5.97
West Bengal	278	9.47	6.41
Mizoram	..	0.00	0.21
Chandigarh	2	0.09	0.00
Meghalaya	0	0.00	0.01
Pondicherry	..	0.00	0.0028
Goa Daman	..	0.00	0.0028
TOTAL	1607	45.80	36.70

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबीरेखा से नीचे रहने वाले लोग

1651. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत, भरूच, बड़ोदरा और पंच महल जिलों के आदिवासी क्षेत्रों म गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनके लिये बनाये गये गरीबी उन्मूलन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के संबंध में कोई समीक्षा की गई है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों से लाभांवित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) इन व्यक्तियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1991 के दौरान कराये गये गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के सर्वेक्षण के दौरान गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है:—

गुजरात

		गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों की संख्या
1	सूरत	145276
2	भड़ौच	167997
3	बड़ोदरा	171285
4	पंचमहल	355084

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना गुजरात सहित संपूर्ण देश में सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे दो प्रमुख गरीबी निवारण कार्यक्रम हैं । प्रभावी कार्यान्वयन के लिये इन कार्यक्रमों की केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा सतत रूप से समीक्षा की जाती है । केन्द्रीय स्तर पर इन कार्यक्रमों के वित्तीय और भौतिक निष्पादन की समीक्षा राज्य सरकारों से प्राप्त मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है । इसके अलावा, समय-समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा राज्य सचिवों के साथ तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के परियोजना निदेशकों के लिये आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों की मार्फत इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने और आवश्यक उपचारी उपाय करने के लिये की जाती है । इन कार्यक्रमों की गुणात्मक निगरानी के लिये सरकार ने क्षेत्र अधिकारियों की एक योजना भी शुरू की है जिसका उद्देश्य चुने हुये जिलों/राज्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता एवं भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर विशेष बल देते हुये मुख्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना है । राज्य स्तर पर योजनाओं की समीक्षा राज्य स्तर समन्वय समितियों द्वारा भी की जाती है । इसके अलावा समय समय पर प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन भी इन कार्यक्रमों की गहराई से समीक्षा करने के लिये कराये जाते हैं । इन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिये आवश्यक उपचारी उपाय किये जाते हैं ।

(ग) इन कार्यक्रमों की मार्फत लाभांवित लोगों की संख्या केन्द्र स्तर पर जिला-वार नहीं रखी जाती है । तथापि, गुजरात राज्य के लिये राज्य स्तर सूचना निम्नलिखित है:–

क्रमांक	कार्यक्रम	लाभान्वित परिवार/सृजित रोजगार	अवधि 1994-95
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	48682 (परिवारों की संख्या)	दिसम्बर, 94 तक
2.	जवाहर रोजगार योजना	123.92 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक
3.	गहन जवाहर रोजगार योजना	44.08 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक
4.	सुनिश्चित रोजगार योजना	15.93 (लाख श्रमदिन)	जनवरी, 95 तक

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की मार्फत केन्द्र सरकार ने कई विशिष्ट प्रयास किए है । इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे ग्रामीण गरीबों को मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराना है । उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए जवाहर रोजगार योजना को 1993-94 के दौरान देश के उन 120 चुने हुए पिछड़े जिलों में गहन बनाया गया है, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की अधिकता है । इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना का उद्देश्य 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जिन्हें रोजगार चाहिए, को गैर

कृषि मौसम के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराना है । यह योजना देश के 2000 से अधिक खंडों में चलाई जा रही है जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों, मरूभूमि क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों में अवस्थित है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में इसकी प्रभावोत्पादकता ने वृद्धि करते के लिए हाल ही में कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में चालू वर्ष के दौरान प्रति परिवार लक्षित निवेश स्तर में वृद्धि करके इसे 12,000 रुपए करना शामिल है। उच्च निवेश स्तर को आसान बनाने के लिए चालू वर्ष के दौरान देश के 213 जिलों में पारिवारिक ऋण योजना आरंभ की गई है। यह मानते हुए कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम परियोजनाओं की व्यवहार्यता में ढांचागत विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ढांचागत विकास के लिए निवेश के मानदण्डों को काफी हद तक विकेन्द्रीकृत किया गया है। पहले लागू निर्धारित सीमा समाप्त कर दी गई है और अब 11,000 रुपए की गरीबी की रेखा से कम आय वाले किसी भी परिवार की इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता दी जा सकती है।

Self-Employment Schemes for women

1652. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any proposal to provide self employment to women in the rural areas of Baroda, Bharuch, Surat and Panchmahal districts in Gujarat is under consideration of the Union Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the time by which this scheme is likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) No, Sir. However, a scheme, Development of Women and Children in Rural Areas DWCRA) started since 1982-83 is already under implementation in all the districts of the country including Baroda, Bharuch, Surat and Panchmahal in Gujarat. DWCRA provides self employment opportunities to Women in rural areas below the poverty line. DWCRA focusses attention on groups of 10—15 women and provides revolving funds of Rs. 15,000 per group.

(c) Does not arise.

Implementation of tree growers cooperation project

1653. SHRI SANJAY DALMIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the National Tree Growers Cooperative Federation Limited, Anand is implementing a tree growers cooperative projects in various States with assistance from the National Dairy Development Board and foreign agencies;

(b) if so, the details thereof indicating the States in which this project has been started or is likely to be started, and

(c) the investment made by NDDB and the financial assistance received/likely to be received from foreign agencies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF WASTELANDS DEVELOPMENT) (COL. RAM SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) At the request of National wastelands Development Board (NWDB), National Dairy Development Board (NDDB) initiated a pilot Tree Growers Project in 1986 with an allocation of Rs. 5 crores from National Dairy Development Board. Subsequently, the National Dairy Development Board and the Tree Growers Cooperative Society formed under the pilot project jointly promoted the National Tree Growers Cooperative Federation (NTGCF).

The National Tree Growers Cooperative Federation (NTGCF) has made efforts in promoting and organising Tree Growers Cooperatives as sustainable and viable cooperative structure for establishing bio-mass on degraded wastelands. The